झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 3612/2023

---

1. ओम प्रकाश उम्र लगभग 68 वर्ष पुत्र स्वर्गीय गुप्तेश्वर प्रसाद

2. अर्चना प्रकाश उम्र लगभग 60 वर्ष पत्नी श्री ओम प्रकाश दोनों निवासी - प्रगति पुरम

श्यामा अपार्टमेंट, बेली रोड, पटना, पत्रालयऔर थाना-रूपसपुर जिला - पटना (बिहार)। ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... विपक्षी

याचिकाकर्ताओं के लिए पार्टी: श्री अभय कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता

झारखण्ड राज्य सरकार के लिए: श्री सुनील कुमार दुबे, अतिरिक्त लोक अभियोजक

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी: दोनो पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्टसाथ हीभा.द.वि. की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 और 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला संख्या 233/2023 पंजीकृत डाल्टेनगंजनगर थाना से उद्द्भुत संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो पलामू के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है, को विखंडित करने और अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्रमशः शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के सास-ससुरहैं। शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ने डाल्टनगंज में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पलामू की अदालत में परिवाद मामला संख्या 739/2023 दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता की अपने पति के साथ शादी के संबंध में दहेज प्राप्त किया था। लेकिन वे दहेज को वापस नहीं कर रहे हैं जिसमें शामिल है :- आभूषण, 6,00,000/- रुपये नकद और शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के माता-पिता द्वारा शिकायतकर्ता के लिए एक कार और फर्नीचर, बर्तन सहित कपडे आदि अन्य कीमती सामान खरीदने के लिए 5,05,000/- रुपये नकद दिए गए। परिवाद पत्र से पता चलता है कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत एकमात्र दंडनीय अपराध बनता है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए परिवाद की प्रति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत, डाल्टनगंज नगर थाना के भारसाधक अधिकारी को भेज दी, जिसके आधार पर भारतीय दंड

संहिता की धारा 498 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 और 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए डाल्टेनगंज नगर थाना मामला संख्या 233/2023 दर्ज किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा. द.वि. की धारा 498 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दहेज की मांग के किसी भी आरोप के अभाव में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है। अत: यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट साथ ही डाल्टेनगंज नगर थाना वाद संख्या 233/2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो पलामू के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विखंडित तथा अपास्त कर दिया जाए।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट साथ ही डाल्टेनगंज नगर थाना मामला संख्या 233/2023, से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पलामू की न्यायालय में लंबित है को रद्द करने और अपास्त करने की प्रार्थना का तीव्र विरोध करता है, और प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 6 के तहत दंडनीय अपराध बनता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही को विखंडित और अपास्त करने का न्यायोचित कारण है, जब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 6 के तहत निर्विवाद रूप से दंडनीय अपराध बनता है। अत: प्रस्तुत किया गया है कि इस आपराधिक विविध आवेदन संख्या 3612/2023 को बिना किसी योग्यता के होने के कारण ख़ारिज किया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंदी दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान से अवलोकन करने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह सच है कि यदि परिवाद में लगाए गए आरोप धारा 156 (3) के तहत पुलिस को भेज दिए गए हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, डाल्टेनगंज नगर थाना मामला संख्या- 233/2023 पंजीकृत किया गया था, अगर इसे पूरी तरह से सच माना जाए, तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 6 के तहत दंडनीय अपराध बनता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामले का अन्वेषण अभी भी जारी है। यदि मामले की जांच के दौरान कानून के किसी अन्य दंडात्मक प्रावधान के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है, तो निश्चित रूप से जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय इसका ध्यान रखे, लेकिन कम से कम दो अपराध दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 6 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनता हैं, इसलिए, यह न्यायालय इस स्तर पर पूरी आपराधिक कार्यवाही को विखंडित करने और आगे कुछ कार्यवाही करने के लिए अभिनत नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की थी; कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए वैध अभियोजन का गला नहीं घोटना चाहिए जैसा कि मोनिका कुमार (डॉ.) एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2008) 8 उच्चतम न्यायालय वाद 781 में प्रतिवेदित है,के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

7. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट साथ ही विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पलामू के न्यायालय में लंबित डाल्टेनगंज नगर थाना मामला संख्या 233/2023 से उद्द्भुत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाहियाँ विखंडित और अपास्त करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है।

8. तदनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्टको विखंडित करने और अपास्त करने की प्रार्थना साथ ही डाल्टेनगंज नगर थाना मामला संख्या 233/2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो पलामू के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित वाद है, नामंजूर किया जाता है.

9. तदनुसार, इस आपराधिक विविध आवेदन संख्या 233/2023 को बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 मार्च, 2024
ए.एफ.आर/अनिमेष

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।